जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद–एटा में गठित "जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन" (DWSM) समिति की दिनांक 20.03.2023 को आयोजित बैठक का कार्यवृत्त

प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन नमामि गंगे जलापूर्ति अनुभाग–1 के शा0सं0 95/छिहत्तर–1–2020–20 स्वजल/2010 टी0सी0–अ लखनऊ दिनांक 21 जनवरी 2020 के द्वारा पेयजल एवं स्वच्छता मिशन जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जल जीवन मिशन के अन्तर्गत निर्गत दिशा–निर्देशो के अनुरूप "जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन" के संगठनात्मक स्वरूप को और सुदृढ बनाने तथा ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमो के प्रभावी क्रियान्वयन तथा मूल्यांकन तथा उनके अनुश्रवण हेतु शासनादेश सं0 2211/38–5–2010–20 स्वजल/2010 (टी0सी0–अ), दिनांक 29 नवम्बर 2010 को संशोधित करते हुये जनपद स्तर पर गठित **"जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन"** समिति की बैठक दिनांक 20.03.2023 को आयोजित की गयी है जिसमें निम्नलिखित सदस्यों द्वारा प्रतिभाग किया गया:–

1 जिलाधिकारी, एटा – अध्यक्ष।
2 मुख्य विकास अधिकारी, एटा – सदस्य।
3 अतिरिक्त जिलाधिकारी, एटा
4 अधिशासी अभियन्ता, उत्तर प्रदेश जल निगम, कासगंज – सदस्य सचिव।
5 सहायक अभियन्ता, उत्तर प्रदेश जल निगम, कासगंज
6 कनिश्ठ अभियन्ता, उत्तर प्रदेश जल निगम, कासगंज
7 प्रतिनिधि मै0 केपीटीएल,मुम्बइ।
8 प्रतिनिधि मै0 केपीटीएल,मुम्बई।
9 डीं पी. एम.यू. एटा

श्री डी.के. सिहं अधिशासी अभियन्ता एवं सदस्य (सचिव), निर्माण खण्ड, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), कासगंज द्वारा अवगत कराया गया कि जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य पेयजल एंव स्वच्छता मिशन (SWSM) द्वारा चरण 03 के अन्तर्गत 158 नग नई ग्रामीण पेयजल योजनाओ के कियान्वयन हेतु फर्म मैसर्स केपीटी एल,मुम्बइ को चयनित कर उपरोक्तानुसार ग्रामों की सूची उपलब्ध करा दी गई है। ग्रामीण क्षेत्रो में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराये जाने के दृष्टिगत फर्म द्वारा राज्य पेयजल एंव स्वच्छता मिशन (SWSM) तथा जल निगम मुख्यालय द्वारा समय–समय पर निर्गत किये गये निर्देशो के अनुपालन मे मै0 केपीटी एल,मुम्बई द्वारा 12 नग ग्रामीण पेयजल योजनाओं की डी0पी0आर0 अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, उ0प्र0 निगम (ग्रामीण), कासगंज को उपलब्ध कराई गईं। अधिशासी अभियन्ता द्वारा 12 नग डी0पी0आर0 की जांच कर उपयुक्त पाईं गईं 12 नग डी0पी0आर0 को जिला पेयजल एवम् स्वच्छता मिशन की बैठक दिनांक 20.03.23 में प्रस्तुत किया गया।

डी0पी0आर0 विरचन हेतु दिशानिर्देश के मुख्य बिन्दु निम्नानुसार है:–

1– Population Projection हेतु आधार वर्ष 2023, मध्य वर्ष 2038 और डिजाइन वर्ष 2053 रखा जाये। विभिन्न Mathematical एवं Graphical मॉडल्स के आधार पर सर्वोत्तम एवं उचित जनसंख्या का चयन किया जाये।
2– नलकूप और पम्पिंग प्लान्ट के डिजाइन मध्य वर्ष (15 वर्ष) की वाटर डिमान्ड पर किया जाये।
3– अवर जलाशय की क्षमता की गणना मध्य वर्ष (15 वर्ष) पर Draw off पैटर्न पर की जाये।
4– सामान्यतः सोलर आधारित योजनायें निर्मित की जाये, जिस हेतु पम्पिंग Hours 6.5 लिया जाये।
5– वितरण प्रणाली में न्यूनतम पाइप का व्यास 63 एम0एम0 रखा जाये एवं 200 एम0एम0 व्यास तक एच0डी0पी0इ0 पाइप एवं 200 एम0एम0 व्यास से अधिक हेतु डी0आई0 पाईप का प्रयोग किया जाये।

Scanned with CamScanner

6– वितरण प्रणाली के डिजाइन हेतु न्यूनतम टर्मिनल प्रेशर 7.0 मी0 रखा जाये।

7– वाटर डिमान्ड की गणना हेतु 55 LPCD + 15% unaccounted water को लिया जाये।

8– ग्राम के प्रत्येक घर को गृह संयोजन दिया जाना है एवं प्रत्येक सार्वजनिक स्थल पर एक स्टैन्ड पोस्ट का प्रावधान किया जाये।

9– एक फायर हाइड्रेन्ट वाटर वर्क्स पर एवं एक फायर हाइड्रेन्ट प्रत्येक राजस्व ग्राम में दिया जाये।

10– पम्प हाउस का साइज 10 बी0एच0पी0 तक के पम्प हेतु 2.50 m X 3.0 m X 3.6 m एवं 12.5 बी0एच0पी0 से 40.0 बी0एच0पी0 तक के पम्प हेतु 3.0 m X 3.6 m X 3.6 m रखा जाये।

11– वाटर वर्क्स हेतु बाउन्ड्रीवाल की ऊचाई 1.20 मी0 रखी जाये एवं 3.6 मी0 चौडाई का मेन गेट एवं 1.20 मी0 चौडाई का विकेट गेट रखा जाये।

फर्म द्वारा प्रस्तुत डी0पी0आर0 में ली गई कार्यो की दरे SWSM द्वारा निर्गत दरो के आधार पर ली गई है। राज्य पेयजल एंव स्वच्छता मिशन द्वारा योजना हेतु Per Capita Cost जो की रु0 6400 निर्धारित की गई है, के आंकलन हेतु वर्क कॉस्ट, कन्टीजेन्सीज तथा जी0एस0टी0 को सम्मिलित किया गया है। बैठक में समिति के समक्ष अर्ह पाई गई 12 नग डी0पी0आर0 की प्रति व्यक्ति लागत अभिकल्पित वर्ष 2053 हेतु औसतन रू0 6400 से कम है। समस्त प्रस्तुत डी0पी0आर0 की SWSM तथा जल निगम द्वारा निर्गत की गई तकनीकी गाइड लाईन के अनुरूप सघनता से जॉंच की गई एवं जॉच में पाई गई कमियो का निराकरण कराते हुए समस्त डी0पी0आर0 जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति को प्रस्तुत की गई है, प्रेशित समस्त डी0पी0आर0 का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार हैः–

Sr. No.	Block	Name of Scheme	Total No. of RV	FHTC (House hold 2023)	Population Details 2023	Estimated Cost incl Centage (Rs. in Lakhs)	Per Capita cost Design Year 2053
1	Jalesar	Mai	1	160	1459	94.82	2331
2	Jathaira	Khawa	1	191	1312	76.42	2081
3	Marhera	Kunjalpur	1	261	1735	113.18	2774
4	Nidhauli Kalan	Bidarika	1	100	484	80.92	688
5	Nidhauli Kalan	Tatarpur Doyam	1	49	278	68.92	440
6	Shitalpur	Uddanpur Ramnagar	1	213	1327	152.88	1750
7	Shitalpur	Palara	1	100	1172	105.23	1798
8	Jaithara	Kathingara	1	144	831	88.39	1327
9	Nidhauli Kalan	Mukharana	1	230	1153	91.69	1591
10	Sakit	Wahidpur Wibipur	1	222	1455	170.57	2308
11	Aliganj	Nagariya urf Sikanderpur Doga	1	234	1662	139.28	2657
12	Marhera	Ahmedpur Bamnoi (Sultanpur)	1	122	860	67.30	1372
SUB-TOTAL (LOT-4)			**12**				

Scanned with CamScanner

अतः प्रमुख सचिव, नमामि गंगे एंव ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग–1, उ0 प्र0 शासन, लखनऊ के आदेश सं0 1197/छियत्तर–1–2021–25सम/2019 दिनॉकः 21 मई 2021 के अनुपालन में कार्यदायी संस्था द्वारा जांच उपरान्त उपयुक्त पाई गई 12 नग डी0पी0आर0 जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है, सभी डी0पी0आर0 रु0 5.0 करोड़ से कम लागत की हैं। उल्लेखनीय है उप सचिव, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, लखनऊ के पत्रांक 36/2021/1599/छिहत्तर–1–2021–25 सम/2019, दिनांकः 08.07.2021 के निर्देशानुसार जिला पेयजल एवम् स्वच्छता समिति द्वारा रु0 5.0 करोड़ तक लागत की डी0पी0आर0 का परीक्षण करके योजनाओं की प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जानी है।

अतः जिला पेयजल एवम् स्वच्छता मिशन की बैठक दिनांकः २०.०३.२०२३ में उक्त 12 नग डी0पी0आर0 की प्रशासनिक एवम् वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये नग डी0पी0आर0 12 को अग्रिम कार्यवाही हेतु राज्य पेयजल एवम् स्वच्छता मिशन को प्रेशित करने का निर्णय लिया गया।

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, उ0 प्र0 जल निगम
(ग्रामीण), कासगंज
(सदस्य सचिव)

27/3/23
मुख्य विकास अधिकारी,
एटा
(सदस्य)

27/3/23
जिलाधिकारी
(अध्यक्ष)
"जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन" समिति
एटा

JJM

Scanned with CamScanner